नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 जून, 2026

का.आ. 1248.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग), नियम, 1976 के नियम-10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में, नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधीनस्थ कार्यालय कण्णूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, मट्टन्नूर, कण्णूर, केरलम-670708, जिसके 80% कार्मिकों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को एतद्द्वारा अधिसूचित करती है ।

[फा. सं ई. 11014/2/2023-रा.भा.]

अमित राय, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 17th June, 2026

S.O. 1248.—In pursuance of Sub-Rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for the Official Purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government, hereby notifies that the subordinate office of Airports Authority of India, Kannur International Airport, Mattannur, Kannur, Keralam- 670708, under Ministry of Civil Aviation, whereof 80% staff have acquired the working knowledge of Hindi.

[F. No. E-11014/2/2023-O.L.]

AMIT RAY, Senior Economic Advisor

सहकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 जून, 2026

का.आ. 1249.—बहु-राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2002 (2002 का 39) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विषय पर दिनांक 5 जनवरी, 2026 की पूर्ववर्ती अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए, केंद्रीय सरकार इसके द्वारा सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव, श्री शिव पाल सिंह, आईएफओएस (यूपी-1997) को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं A-22011/1/2026-Estt.(Coop.)]

अजित कुमार शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF COOPERATION

New Delhi, the 16th June, 2026

S.O. 1249.—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 4 of the Multi-State Cooperative Societies Act, 2002 (39 of 2002) and in supersession of earlier notification dated 5th January, 2026 on the subject, the Central Government hereby appoints Shri Shiv Pal Singh, IFoS, (UP-1997), Joint Secretary in the Ministry of Cooperation, Government of India as the Central Registrar of Cooperative Societies with immediate effect and until further orders.

[F. No. A-22011/1/2026-Estt.(Coop.)]

AJIT KUMAR SHARMA, Under Secy.